

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैकटर-6, नौएडा

जिला-गौतमबुद्धनगर-201301

पत्रांक: नौएडा/भूलेख/2022/ १९२०
दिनांक २९-३-२२

श्री चरनसिंह भाटी (एडवोकेट),
चैम्बर नं०-487, गली नं०-10,
जिला न्यायालय, सूरजपुर,
जिला-गौतमबुद्धनगर।

22956
1-4-22

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आर.टी.आई. आवेदन संख्या-28772 द्वारा मांगी गयी सूचना का प्रेषण।

कृपया अपने प्रार्थना-पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सूचना का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	प्रेषन	उत्तर
(i)	यह कि क्या गाँव लखनावली, पर०-दादरी, तह०-सदर, जिला-गौ०बु०नगर की कृषि भूमि खाता-343, खेत/गाटा सं०-22, क्षेत्रफल ०२-१७-० पुख्ता बीधा यानि 8621 वर्ग गज (7208 वर्ग मी०) के १/१० भाग जिसका मालिक लेखराज पुत्र लीला, निवासी लखनावली है का अधिग्रहण ग्रेटर नौएडा द्वारा किया गया है।	
(ii)	यह कि खाता सं०-343 खेत/गाटा सं०-22 स्थित गाँव लखनावली क्षे० ०२-१७-० पुख्ता बीधा में से १/१० भाग, जिसका मालिक लेखराज पुत्र लीला है की बावत ६% आवासीय भूखण्ड आवंटित किया गया है?	
(iii)	यह कि लेखराज पुत्र लीला निवासी को अपनी उपरोक्त भूमि की बावत किन्तने मी० का आवासीय भूखण्ड आवंटन हुआ है और कौन से सैकटर में प्लॉट स्थित है। उसका प्लाट सं० १ आवंटन न० क्या है।	आर०टी०आई० के बिन्दु संख्या-(i) लगायत बिन्दु संख्या-(v) के माध्यम से चाही गयी सूचना/जानकारी ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।
(v)	क्या लेखराज पुत्र लीला, न० लखनावली को उक्त भूमि की बावत आवंटित प्लॉट की जिस्त्री लीज हो चुकी हैं की कापी दिलाई जावे।	

कृपया तदनुसार सूचित होना चाहें।

लेखपाल
नौएडा

डिप्टी कलेक्टर (भूलेख)
नौएडा

प्रतिलिपि:-

- जन सूचना अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर को इस अशय से प्रेषित कि आवेदक को सीधे सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रभारी जन सूचना अधिकारी, सैकटर-6, नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

लेखपाल
नौएडा

डिप्टी कलेक्टर (भूलेख)
नौएडा

10 land

10/1/22